

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक-  
प्रति.

/री -2/भू. अ./2017 3177

खण्डवा, दिनांक-23.12.2017

नियंत्रक  
केन्द्रीय मुद्रणालय,  
भोपाल

विषय-

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013”  
की धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत। प्रकरण क्रमांक  
0006/अ-82/2017-18 ग्राम सेमल्या तहसील खण्डवा

--00--

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013”  
की धारा -11 प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना है। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र.  
शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित धारा -11 प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां (एक मूल प्रति  
एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।



अनुविभागीय अधिकारी, एवं  
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

खण्डवा, दिनांक-23.12.2017

पृ.क्रमांक-  
प्रतिलिपि-

/री -2/भू. अ./2017 3178

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर धारा -11 प्रारंभिक अधिसूचना की चार- प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में इनका प्रकाशन करवाकर इसकी -एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र प्रकाशन व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित धारा -11 प्रारंभिक अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. तहसीलदार खण्डवा की ओर -6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें।
  1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड
  2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
  3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड
  4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
  5. ग्राम सेमल्या की चौपाल पर .

अनुविभागीय अधिकारी, एवं  
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. / एल. ए. / 133 / 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-0006 / अ-82 / 17-18

खण्डवा, दिनांक 22-12-2017

**// प्रारंभिक अधिसूचना //**

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

**// अनुसूची //**

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
01	02	03	04	05	06
खण्डवा	खण्डवा	सेमल्या	173.68 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा	भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

( अग्निषेकसिंह )

कलेक्टर एवं समुचित सरकार  
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला खण्डवा